न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
अनु.शर्मा.......बनाम.रा.सरकार....
नं० मु0.....04/2019......
प्रमाणित प्रतिलिपि. निर्णय व डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी सुश्री श्वेता कोचर, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
....	....	....	....
04 / 2019	दावा 88, 91, 92ए RTA	11.01.2019	20.09.2019

रामी पत्नी रतीराम जाति मेघवंशी निवासिनी रिड़खला तहसील व जिला चूरू —वादिनी—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार साहब, चूरू —प्रतिवादी—

2. रतीराम पुत्र अर्जुनराम जाति मेघवंशी निवासी रिड़खला तहसील व जिला चूरू
3. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक चूरू जरिए शाखा प्रबन्धक —गौण प्रतिवादीगण—

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए आर.टी.ए.

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र डुडी वादिनी
2. अधिवक्ता श्री महावीरप्रसाद वर्मा प्रतिवादी सं. 2

निर्णय

वादिनी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि वादिनी प्रतिवादी सं. 2 की पत्नी है प्रतिवादी सं. 2 वादिनी का पति है। यह कि कृषि भूमि ख.नं. 52 तादादी 3 बीघा 7 विश्वा (0.8473 है0), ख.नं. 140 तादादी 21 बीघा 3 विश्वा (5.3494 है0) रोही मौजा रिड़खला तहसील चूरू वादिनी के ससुर व प्रतिवादी सं. 2 के पिता अर्जुनराम की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि रही है। अर्जुनराम के स्वर्गवस के बाद उक्त भूमि का नामान्तरकरण अर्जुनराम के जायज वारिसान मंगलाराम जो वादिनी का पूर्व पति था, के नाम व प्रतिवादी सं. 2 रतीराम के नाम से ब हिस्सा बराबर दर्ज कर दिया गया। मंगलाराम के स्वर्गवास के बाद मंगलाराम का हिस्सा वादिनी के नाम से पत्नी होने के कारण से दर्ज कर दिया गया। वर्तमान में उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में वादिनी व प्रतिवादी सं. 2 के नाम ब हिस्सा बराबर दर्ज है यही वादगत कृषि भूमि है। यह कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 52 व 140 रोही मौजा रिड़खला तहसील चूरू के एक खातेदार वादिनी के पूर्व पति मंगलाराम का वर्ष 1987 में स्वर्गवास होने पर मंगलाराम के हक हिस्से की कृषि भूमि का नामान्तरकरण वादिनी के नाम से पत्नी व जायज वारिस होने के कारण से राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया। राजस्व कर्मचरियों ने उक्त अंकन करते समय वादिनी का नाम गलती से भूलवश ग्रामीण परिवेश की बोलचाल के अनुसार रामी के स्थान पर रामली अंकित कर दिया गया। यह कि वादिनी के पति मंगलाराम का स्वर्गवस होने के बाद वादिनी ने अपना शेष जीवन आराम से जीने के लिए अपने सगे देवर प्रतिवादी रतीराम के साथ पुनर्विवाह कर लिया।

उपखण्ड अधि.
चूरू

मिलान किया

प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर
उप खण्ड अधिकारी
चूरू

प्रतिवादी सं. 2 के साथ पुनर्विवाह के प्रमाण स्वरूप दावा के साथ विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की फोटो प्रति, फोटो प्रति कार्ड बी.पी.एल. पंजीयन क्रमांक 814–4820686, फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड, फोटो प्रति पहचान पत्र भारत निर्वाचन आयोग, फोटो प्रति आधार कार्ड भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण पेश किये जा रहे हैं। यह कि वादिनी का सही व असली नाम रामली न होकर रामी है तथा पूर्व पति मंगलाराम के स्वर्गवास के बाद वादिनी द्वारा प्रतिवादी सं. 2 के साथ पुनर्विवाह कर लेने से वादिनी मंगलाराम की बेवाह रह कर प्रतिवादी सं. 2 रतीराम की पत्नी है। वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादिनी का नाम रामली गलती से भूलवश लिखा गया है तथा रामली बेवाह मंगलाराम वादिनी के पूर्व पति का नाम मंगलाराम होने के कारण से वादिनी के द्वारा प्रतिवादी सं. 2 के साथ पुनर्विवाह करने के बावजूद भी भूलवश चला आ रहा है जो हर प्रकार से दुरूस्ती के काबलि है।

यह कि वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादिनी का नाम रामली होने का तथा वादिनी द्वारा प्रतिवादी सं. 2 के साथ पुनर्विवाह के बाद भी वादिनी के नाम के आगे बेवाह मंगलाराम होने का पहले वादिनी को कोई जानकारी नहीं थी। पिछले दिनों खेत का मुआवजा लेने हेतु वादिनी बैंक गई तो बैंक वालों ने कहा कि आपके वल्दियत के सारे दस्तावेजात रामी रामी पत्नी रतीराम के नाम से हैं व आपकी कृषि भूमि के रेकार्ड में रामली बेवाह मंगलाराम है इस कारण आपको मुआवजा नहीं मिल सकता है। बैंक वालों के बताने पर वादिनी को इस बाबत जानकारी हुई उक्त जानकारी होने पर राजस्व रिकार्ड में दरुस्ती करवाने का यह दावा वादिनी पेश किया जा रहा है। यह कि वादनी द्वारा प्रतिवादी सं. 1 से कई बार मिल कर अनुरोध किया कि वोह वादगत कृषि भूमि का गलत बना राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर देवें पहले तो वोह हां हूं करते रहे मगर आखिर में दिनांक 04.01.19 को ऐसा करने से स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया। वादिनी वादगत कृषि भूमि की खातेदार काबिज काश्तकार होने से इस दावा के प्रति वादिनी को आधार प्राप्त है तथा प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा स्पष्ट रूप से की गई इन्कारी की तिथि दिनांक 04.01.19 से इस दावा के प्रति वादिनी को कारण प्राप्त है। यह कि गौण प्रतिवादी सं. 2 वादगत कृषि भूमि का सह खातेदार होने से तथा वादगत कृषि भूमि गौण प्रतिवादी सं. 3 के यहां रहन होने के कारण से इन्हें वाद में बतौर गौण प्रतिवादी सं. 2 व 3 बनाया गया है। यह कि वादगत कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी सं. 1 के पादर व पजेशन में होने के कारण से तथा दावा वादिनी डिक्री होने की सूरत में मुताबिक डिक्री के कार्यवाही प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा किये जाने के कारण से प्रतिवादी सं. 1 को पक्षकार वाद बतौर प्रतिवादी सं. 1 बनाया गया है। चूंकि वादिनी द्वारा प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध कोई नुकसानप्रद अनुतोष नहीं चाहा गया है इस कारण से प्रतिवादी सं. 1 को धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिये बिना दावा वादिनी पेश किया जा रहा है। यह कि वादगत कृषि भूमि श्रीमान् जी के अधिकार क्षेत्र में स्थित है इसलिए इस दावा के प्रति श्रीमान् जी को हर प्रकार से श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। दावा वादिनी उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है।

अतः दावा वादिनी पेश कर अर्ज है कि दावा स्वीकार कर बहक वादिनी विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे:

FOR COPYING FEES ONLY
TWO RUPEES INDIA

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर
उप खण्ड अधिकारी
चूरू

मिलान किया

(क) घोषणा इस आशय की की जावे कि कृषि भूमि ख.नं. 52 तादादी 3 बीघा 7 विश्वा (0.8473 है0), ख.नं. 140 तादादी 21 बीघा 3 विश्वा (5.3494 है0) रोही मौजा रिड़खला तहसील चूरू की वादिनी रामी पत्नी रतीराम कौम मेघवंशी साकिन देह ब.हि.ब. खातेदार काबिज काश्तकार है।

(ख) राजस्व रिकार्ड इस आशय का दुरूस्त किया जावे कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 52, 140 रोही मौजा रिड़खला तहसील चूरू में वर्तमान में दर्ज नाम रामली बेवाह मंगलाराम के स्थान पर रामी पत्नी रतीराम अंकित किया जावे।

(ग) खर्चा मुकदमा वादिनी को प्रतिवादी से दिलवाया जावे।

(घ) अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादिनी हो अथवा दौराने सुनवाई वाद हो जावे, प्रदान किये जावें।

वादिनी की ओर से पेश दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पैरोकार राज एवं 2 की ओर से श्री महावीरप्रसाद वर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा एवं इकबालिया जवाबदावा पेश किया। पत्रावली प्रतिवादी सं. 1 व 3 के जवाब में लम्बित रही।

प्रतिवादी सं. 2 ने अपने इकबालदावा में अंकित किया कि दावा की मद सं. 1 से 5 सही लिखी होने से स्वीकार है। वादिनी का असली नाम रामली न होकर रामी है। गौण प्रतिवादी सं. 2 के सगे भाई मंगलाराम के स्वर्गवास के बाद वादिनी द्वारा गौण प्रतिवादी सं. 2 के साथ पुर्विवाह कर लिये जाने से वादिनी मंगलाराम की बेवाह न रह कर गौण प्रतिवादी सं. 2 की पत्नी है। राजस्व रिकार्ड में वादिनी का नाम भूलवश रामली लिख दिया गया तथा रामली बेवाह मंगलाराम भी पुनर्विवाह करने के बाद भूलवश चला आ रहा है। ये दुरूस्ती के काबिल है। यह कि दावा की मद सं. 6, 7 व 9, 10 गौण प्रतिवादी सं. 2 से सम्बन्धित नहीं होने से जवाब की कोई आवश्यकता नहीं है एवं दावा की मद सं. 8 स्वीकार है। अतः जवाबदावा पेश कर अर्ज है कि दावा वादिनी मय अनुतोष क, ख, ग के स्वीकार किये जाने में गौण प्रतिवादी सं. 2 को आपत्ति एतराज नहीं है।

प्रतिवादी सं. 1 व गौण प्रतिवादी सं. 3 को जवाब हेतु असीमित अवसर प्रदान किये गये परन्तु उनकी ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया जिस पर जवाबदावा बन्द किया जाकर पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई। साक्ष्यवादी में गवाह रामी व नोरंगराम ने उपस्थित होकर साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये। गवाहों के बयानात लेखबद्ध किये गये। वकील प्रतिवादी द्वारा जिरह नहीं करने से जिरह शून्य रही। अन्य गवाह पेश नहीं करने पर साक्ष्यवादी बन्द की जाकर साक्ष्य प्रतिवादी हेतु अवसर दिया गया। प्रतिवादी की ओर से गवाह रतीराम ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसके बयान लेखबद्ध किये गये। वकील वादी द्वारा जिरह नहीं करने से जिरह शून्य रही। अन्य गवाह पेश नहीं करने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। नियत दिनांक को दावा पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

FOR COPYING FEES ONLY
प्रमाणित प्रतिलिपि
उप खण्ड अधिकारी
चूरू
मिलान किया

वकील वादिनी ने अपनी बहस में दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि गौण प्रतिवादी सं. 2 अपना इकबालदावा पेश कर चुके हैं तथा प्रतिवादी सं. 1 व गौण प्रतिवादी सं. 3 क ओर से दावा के विरोध मे ना तो कोई जवाब पेश किया है तथा ना ही कोई साक्ष्य पेश किया है। प्रतिवादी सं. 2 को वादिनी के दावा पर कोई आपत्ति एवं एतराज नहीं है। वादिनी के पूर्व पति मंगलाराम का स्वर्गवास हो जाने पर दर्ज विरासतन नामान्तरकरण में वादिनी का नाम भूलवश रामली दर्ज दिया गया एवं वादिनी द्वारा अपने सगे देवर रतीराम से पुनर्विवाह करने के कारण अब उसका पति रतीराम हो गया है जबकि वादगत कृषि भूमि में वादिनी के पति का नाम भूलवश मंगलाराम ही अंकित चला आ रहा है। वादिनी का सही व असली नाम रामी है जबकि राजस्व रिकार्ड में रामली अंकित है। वादिनी के समस्त दस्तावेजों में उसका व पति का नाम रामी पत्नी रतीराम अंकित है। दावा वादिनी स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादिनी व उसके पति का नाम सही अंकित करने से प्रतिवादी सं. 1 व गौण प्रतिवादी सं. 3 को कोई नुकसान होने की सम्भावना नहीं है क्योंकि वादिनी इनके हितों के प्रतिकूल कोई अनुतोष नहीं चाहती। हमने अपने दावा में अंकित तथ्यों व पेश दस्तावेजों को साक्ष्यवादी से प्रमाणित कराया है। साक्ष्य प्रतिवादी के बयानों से भी दावा वादिनी प्रमाणित होता है। अतः दावा वादिनी स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाया जावे। वकील प्रतिवादी सं. 2 ने अपनी बहस में जाहिर किया कि हम अपना इकबालदावा पेश कर चुके हैं। दावा वादिनी स्वीकार किये जाने में हमें कोई आपत्ति एवं एतराज नहीं है।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत् 2071से 2074 ग्राम रिड़खला ख.नं. 52, 140 कुल तादादी 6.1967 हैक्टेयर में रतीराम पुत्र अर्जनराम 1/2 हिस्सा व रामली पत्नी मंगलाराम 1/2 हिस्सा दर्ज है तथा दोनों खातेदारों की हिस्सा भूमि बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शा चूरू के रहन दर्ज है। प्रदर्श–2ए छाया प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र मंगलाराम में उसकी मृत्यु दिनांक 10.02.1987 को होना अंकित है। प्रदर्श–3ए छाया प्रति रतीराम व रामी के विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र के अनुसार इन दोनों का विवाह 05.02.1992 को होना अंकित है एवं इस प्रमाण पत्र में दोनों का पति–पत्नी के रूप में संयुक्त छायाचित्र भी दर्शित है। प्रदर्श–4 ए रतीराम का बी.पी.एल. कमांक 814 परिवार राशन कार्ड में वादिनी का नाम रामी व पति का नाम रतीराम अंकित है। प्रदर्श– 5 ए वादिनी का भामाशाह कार्ड सं. वीबीटीओआरओएक्स है जिसमें वादिनी का नाम रामी व पति का नाम रतीराम अंकित है। परिवार राशन कार्ड संख्या 007048600435 जो प्रदर्श–6 ए है, भारत निर्वाचन आयोग मतदाता पहचान पत्र सं. आरजे/03/020/063177 जो प्रदर्श–7 ए है, आधार कार्ड सं. 686345605069 जो प्रदर्श–8 ए है, उक्त सभी दस्तोवजों में भी वादिनी का नाम रामी व पति का नाम रतीराम अंकित है। साक्ष्यवादी व साक्ष्य प्रतिवादी में उपस्थित गवाहों ने अपने बयानों में दावा में अंकित तथ्यों को ही दोहराया है।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि वादगत कृषि भूमि का 1/2 हिस्सा पहले वादिनी के पूर्व पति मंगलाराम के नाम दर्ज था। मंगलाराम का स्वर्गवास होने पर उसका उसके जायज वारिसान के नाम दर्ज किया गया। चूंकि उस समय मंगलाराम की जायज

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

मिलान किया

प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर
उप खण्ड अधिकारी
चूरू

वारिस उसकी पत्नी रामी ही थी जिसको ग्रामीण परिवेश एवं बोलचाल में रामली पुकारा जाता था इसलिए राजस्व रिकार्ड में नामान्तरकरण दर्ज करते समय उसका नाम रामी के बजाय रामली अंकित कर दिया गया जो आज तक चला आ रहा है। वादिनी ने पति मंगलाराम के स्वर्गवास के बाद अपने सगे देवर रतीराम से पुनर्विवाह कर लिया जो कि उनके विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र से साबित होता है। वर्तमान में वादिनी रतीराम की पत्नी है। वादिनी के समस्त दस्तावेजों में उसका व उसके वर्तमान पति का नाम रामी पत्नी रतीराम अंकित है जबकि राजस्व रिकार्ड में रामली पत्नी मंगलाराम अंकित है। वादिनी के दस्तावेजों एवं राजस्व रिकार्ड में अंकित नाम व वल्दियत में भिन्नता होने से वादिनी को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए उक्त भिन्नता को समाप्त करवाने व राजस्व रिकार्ड में अपना व पति का नाम दुरूस्त करवाने हेतु वादिनी ने यह दावा पेश किया है। वादगत कृषि भूमि के समस्त हितबद्ध पक्षकारों का दावा में पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी सं. 2 जो वादिनी का पति है, ने इकबालदावा पेश किया है तथा प्रतिवादी सं. 1 व गौण प्रतिवादी सं. 3 द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया। वादगत कृषि भूमि वर्तमान में गौण प्रतिवादी सं. 3 के रहन दर्ज है जो कि दावा डिक्री किये जाने पर भी यथावत रहन ही रहना है। वादिनी ने अपने दावा में प्रतिवादी सं. 1 व गौण प्रतिवादी सं. 3 के हितों पर प्रतिकूल असर डालने वाला कोई अनुतोष नहीं चाहा है। इसलिए दावा स्वीकार किये जाने से प्रतिवादी सं. 1 व गौण प्रतिवादी सं. 3 को कोई क्षति होने की सम्भावना नहीं है। वादिनी ने अपने दावा में अंकित कथनों एवं पेश दस्तावेजात को साक्ष्य से प्रमाणित किया है जिससे दावा वादिनी के पक्ष में साबित होता है। वादिनी वादगत कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा की खातेदार व काबिज काश्तकार है, वादिनी के समस्त दस्तावेज रामी पत्नी रतीराम से बने हुए हैं एवं वर्तमान में उसका पति रतीराम है। इसलिए वादिनी वादगत कृषि भूमि में अपना व पति का नाम दुरूस्त करवा कर दस्तावेजों में अंकित नामों के अनुरूप करवाने की अधिकारी है। इस प्रकार दावा वादिनी के पक्ष में साबित होने से स्वीकार करने योग्य पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विस्तृत विवेचना के आधार पर दावा वादिनी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 52 तादादी 3 बीघा 7 विश्वा (0.8473 है0), ख.नं. 140 तादादी 21 बीघा 3 विश्वा (5.3494 है0) रोही मौजा रिड़खला तहसील चूरू के 1/2 हिस्सा में अंकित रामली पत्नी मंगलाराम के स्थान पर रामी पत्नी रतीराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार, चूरू को उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

प्रमाणित प्रतिलिपि

मिलान किया

रीडर
उप खण्ड अधिकारी
चूरू